सहायक कलक्टर (F.T)

उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस ... मे
	धोसाराम बनाम लक्ष्मण	
13/5/24	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता ~~प्रार्थी~~ वादी ने आग्रह किया कि पत्रावली में पूर्व में दो बार बहस सुनी जा चुकी है, परन्तु निर्णय नहीं लिखा गया है इसलिए नवीन पीठासीन अधिकारी के रूप में आज बहस सुनी जाकर समुचित निर्णय किया जावे। पत्रावली दौरानिर्णय के लम्बित है। अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। पत्रावलि वास्ते निर्णय आयन्दा दिनांक 03/6/2024 को प्रस्तुत हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर (फा.ट्र.) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	
03/6/24	पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रकरण में वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 487 रकबा 0.27 है. वाके ग्राम नौवाड़ा तहसील मुण्डावर वादी सं. 1 व वादी सं. 2 व वादी सं. 3 के पिता नत्थूराम ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 4/9/82 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा 3 सं. 5 के पिता रामनिवास व रोहिताश्व से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की थी तथा वक्त खरीद से ही काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त विवादित आराजी के बैयनामे का इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज नहीं किया गया जब रिकार्ड देखने पर पता [हस्ताक्षर]	

सहायक कलक्टर (फा०क्रै०) मुण्डावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

घीसाराम बनाम लछमण

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
चला कि विक्रेता एवं क्रेता की मृत्यु हो चुकी है। उक्त बैयनामे का इंतकाल दर्ज नहीं हुवा जिसकी जानकारी दिनांक 20.2.12 को हुई। डिक्री इस्तकरारहक बहक वादीगण जारी की जावे कि विवादित आराजी ख. न. 487 रकबा 0.27 हैक्ट. से प्रतिवादीगण का नाम हज़फ़ किया जावे। वादी स० 1 को 1/2 भाग व वादी स० 2 व 3 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।	
बावजूद तामील प्रतिवादीगण स० 1 से 5 व 7 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है तथा प्रतिवादी स. 6 की तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत हुवा है परन्तु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।	
पत्रावलि में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी जा चुकी थी परन्तु निर्णय अंतिम से पूर्व स्थानान्तरण के कारण पुन: बहस सुनी गयी।	
पत्रावलि का अवलोकन किया गया। पत्रावलि में संलग्न नामा. सं. 555 वंडिग्राम नीवाड़ा के अनुसार रजिस्ट्री दिनांक 13.12.82 के अनुसार लछमण पतराम रामनिवास रोहिताश पुत्रान भूरिया अहीर सा. देह खातेदार के स्थान पर घीसाराम नत्थूराम पुत्रान धूलाराम सा. देह खरीददार खातेदार के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया गया था जिसको निरस्त करने का अंकन भी नामा. पर	

सहायक कलक्टर (फा०क्रै०)
मुण्डावर (अलवर-जिला)

सहायक कलक्टर (F-T)

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धीसाराम बनाम लक्ष्मण

है परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण को फैसल करने का अंकन न होकर केवल इतना ही इन्द्राज है "आगामी तारीख पेशी पर पेश किया जावे"।

इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ग्राम पंचायत द्वारा इस नामा. पर फैसल के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया। न ही रिकार्ड की अद्यतन स्थिति जाहिर होती है दौरान बहस भी अधिवक्ता वादी ने यही तथ्य दोहराया कि नामा.-555 को ग्राम पंचायत द्वारा फैसल न कर केवल आगामी तारीख पेशी दे दी।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भी क्रेताओं के नाम पूर्ववत न रहकर विरासत इन्तकाल होने से परिवर्तित हो चुका है।

इस प्रकार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नामा. सं. 555 पर समुचित निर्णय होना अपेक्षित है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपेक्षित इन्द्राज किये जा सके।

अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण नामान्तरकरण के फैसल होने से संबंधित होने के कारण प्रकरण तहसीलदार मुण्डावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामा. सं. 555 बाबत ग्राम ~~खेवाड़~~ तहसील मुण्डावर के सम्बन्ध में नियमानुसार जाँच कर विधिअनुसार निर्णीत करें एवं इसके परिणामस्वरूप राजस्व रिकार्ड

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (खैरथल)

सहायक कलक्टर (F.T)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हुक... में ज...
पीसाराम बनाम लक्ष्मण	
जमाबन्दी मे अपेक्षित इन्द्राज/संशोधन इन्द्राज किये जावें। निर्णय आज दिनांक 03/6/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावलि न. से कम होकर बाद वांछित पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] 03/6/24 (पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी-मुण्डावर सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	